FP/BR/ROAD/142675/2021 I/116747/2025



#### भारत सरकार / Government of India पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय Ministry of Environment, Forest & Climate Change

# क्षेत्रीय कार्यालय/ Regional Office





संख्या: एफ.पी/बी.आर./रोड/142675/2021/*362* 

सेवा में,

### प्रधान सचिव/ अपर मुख्य सचिव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार, सिंचाई भवन पटना — 800015.

विषय:- शेखपुरा, लखीसराय, जमुई एवं बाँका जिलान्तर्गत NH-333A बरबीघा-शेखपुरा-सिकन्दरा-जमुई-झाझा-बाँका-पंजवारा झारखण्ड बॉर्डर तक (0.00-198.45 कि०मी० पैकेज-I) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के तहत 142.7368 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

#### महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक श्रीमान के पत्र संख्या-4/वन भूमि-78/2025/2538/प०व०ज०प० दिनांक 23.05.2025 के सम्बन्ध में अवगत करना है कि उपरोक्त वर्णित परियोजना प्रस्ताव के जाँचोपरान्त यह पाया गया कि प्रस्ताव के ऑनलाइन आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजों/जानकारी को दुरुस्त/अपलोड कराने की आवश्यकता है:

- i. The authorization letter at PART-I; A-3 (xvii) is not specific. It should be singularly issued in the name of applicant. Similarly, entries B-2.3 & B-2.4 may be comprehended.
- ii. The KML file of the proposed forest marked for diversion is erroneous. It needs to be corrected.
- iii. Cross-section layout map of the proposed Road is missing.
- iv. Certified copy of area calculation by the concerned DFOs.
- v. Cost Benefit analysis is not correct. It may be rectified.
- vi. NOCs from concerned parent departments like railways, transmission lines which the proposed road is intended to pass in forest is mandatory before issuance of Stage-I approval.
- vii. Proposal involves forest area more than 100 ha., therefore SIR of State Nodal Officer-FC is required.
- viii. Compensatory Afforestation (CA) has been proposed over Degraded Forest Land (DFL) which needs to be proposed over Non-Forest Land (NFL) for state government proposals.
- ix. Information related to employment generation at entry E(ii) & (iii) may be corrected.
- x. Entries at 5 of PART-II may be highlighted clearly.
- xi. Site Inspection Reports of all the inspecting authorities (e..g. DFOs, CFs etc.) must be signed with date over the name of inspecting authority.

FP/BR/ROAD/142675/2021 I/116747/2025

अतः श्रीमान से अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेज / जानकारी को प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई हेतु ऑनलाइन में अपलोड कराते हुए प्रेषित कर अनुगृहीत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम करवाई की जा सके।

विश्वासभाजन

(शशि शंकर) उप वन महानिरीक्षक

## प्रतिलिपि:-

- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक- सह नोडल पदाधिकारी (एफ. सी.),पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार, अरण्य भवन, शहीद पीर अलीखां मार्ग, पटना-800014.
- 2. वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बाँका, जमुई एवं मुंगेर वन प्रमण्डल, बिहार।
- 3. कार्यपालक अभियंता, एनएच डिवीजन लखीसराय, मुंगेर ।
- 4. गार्ड फाईल ।